

संयुक्त सचिव।  
(लोक निर्माण विभाग)

*[Signature]*

8. गाड़ फाड़ल।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिकांसी अभियंता।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158(21)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कथमसिंह नगर की नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

सं. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री पी0एस0 बिष्ट	प्रान्तीय खण्ड, कदपुर	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी
2		3	4

निम्नलिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में

कार्यालय द्वारा

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

संख्या : 1158(21)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.

लोक निर्माण अग्रभाग-1

उत्तराखण्ड शासन

मुख्य अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड शासन  
देहरादून  
27/5/14  
C.E.C.H.0/14.46

27/5/14  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)

8. गाड़ काईल।
  7. सम्बन्धित अधिकायी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिकायी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158(25)/III(1)/14-46(आधि)/09, टी.सी. महविनांक

(अरविन्द सिंह दयौकी)  
अपर सचिव।

पूर्ववत स्थान पर यथावत बनाये रखा जाता है।  
आ। उपरोक्त कार्यालय जाए दिनांक 24 मई, 2014 को निरस्त करते हुए श्री बन्देश्वर पाण्डेय को निर्माण विभाग, हल्द्वानी का स्थानान्तरण नव सृजित पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, धारदूला में किया गया दिनांक 24 मई, 2014 के द्वारा श्री श्री बन्देश्वर पाण्डेय, सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय जाए संख्या 1135/14-46(आधि)/09 टी.सी.-बी

#### कार्यालय जाए

देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
संख्या 1158(25)/III(1)/14-46(आधि)/09, टी.सी.  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
उत्तराखण्ड शासन

ए.एस.एस. ऑफिसर  
ए.एस.एस. ऑफिसर

88  
C.E (CHD)/E.E.I

8ms  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(लोक निर्माण विभाग)  
*[Signature]*

8. गार्ड फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकाधी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिकाधी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158(222)/III(1)/14-46(आधो)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इन्स्टीट्यूट को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित निचयक अधिकाधी स्थानान्तरित अधिकाधी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकाधी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री टी०सी० पाण्डे	सिडकूल यूनिट पत्तनगर से	सम्बद्ध निर्माण खण्ड, इन्स्टीट्यूट
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यरहित से स्थानान्तरित करके हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सुनिश्चित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158(222)/III(1)/14-46(आधो)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय भौग

*[Handwritten notes and signatures]*  
2.2 C.H.O./E.C.E

03/06/14  
Smt

संयुक्त सचिव।  
(लाल मोहन आर्य)

*[Handwritten Signature]*

8. गार्ड फाईल।
  7. संबंधित अधिकांशी (नाम से)।
  6. संबंधित अधिकांशी अभियंता।
  5. संबंधित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

1. संवत् 2010-11, वृत्त लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संबंधित अधिकांशी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित नियंत्रक अधिकांशी स्थानान्तरित अधिकांशी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रभांशी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप संबंधित कार्मिक को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री सत्यनंद शर्मा प्रभांशी अधीक्षण अभियंता	ए0डी0बी0, वृत्त लोक निर्माण विभाग टिहरी	ल0नि0वि0, मुख्य अभियंता स्तर-2, उत्तराखण्ड, देहरादून

उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।  
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभांशी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यभार में स्थानान्तरित करने हेतु तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख आंकित कॉलम-4 में

**कार्यालय झाप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

मुख्य सचिव  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
158/III(1)/14-46(अधि0)/09

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड)

8. गाड़ फाड़ल।
  7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी. तददिनांक

अपर सचिव।  
(अपर सचिव)

- अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।
5. प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2 के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
  4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय करें।
  3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यालय करना सुनिश्चित करे।
  2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री हरिधाम शर्मा, प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2, मुख्यालय।	लोक निर्माण विभाग, प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2, लोनिओबि0, देहरादून।	

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर-2 के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

### कार्यालय ड्राफ्ट

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

1158/III(1)/14-46(आबि0)/09, टी.सी.  
C.E (HOD)/1158

3ms  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)

*[Handwritten Signature]*

8. गार्ड फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
  5. सम्बन्धित मुख्य अधिकारी स्तर-1/मुख्य अधिकारी स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158(2011)/III(1)/14-46(अधो)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, काशीपुर को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रविष्टि किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।


क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री मोहन चन्द शर्मा	निर्माण खण्ड, काशीपुर	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अधिकारी के विभागीय कार्यहित से स्थानान्तरित किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अग्रभाग-1  
संख्या: 1158(2011)/III(1)/14-46(अधो)/09, टी.सी.  
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय ड्राप

*[Handwritten Signature]*  
C.E (Hd) / 3.32

03/06/14  
30/5

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  


8. गार्ड फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अधिकारी स्तर-1/मुख्य अधिकारी स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. ✓ प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या: 1158(19)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

5. प्रभाषी सहायक अधिकारी के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरेद्वानी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री अमृत्यु वालिया, प्रभाषी सहायक अधिकारी	निर्माण खण्ड, हरेद्वानी	पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड, धारवृत्ला
2		3	4

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाषी सहायक अधिकारी के विभागीय कार्यभार में

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158(19)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय भाग

प्र. सं. 1158(19)  
दिनांक 27 मई, 2014  
C.E (1158)/14.37

03/06/14  
Sur

(लोक निर्माण विभाग)  
संयुक्त सचिव।

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या: 1158/187/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तर्बुनियांक

(अखिल सिंह देयाँकी)  
आपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रविष्टि किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार संनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रिथ्वीराज को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री रमेश चन्द पन्त, सहायक अभियन्ता	पी.एम.जी.एस.वाड, खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हरद्वारी	धारवाला


उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।  
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यद्वि में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुच्च ऑफिस कॉलम-4 में

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 1158/187/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय डीए

लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड शासन

1158/187/III(1)/14-46(अधि0)/09

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  


8. गाड़ फाड़ल।
  7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158-17/III(1)/14-46(अधि)/09, टी.सी. तद्विनिक

(अरविन्द सिंह देवाँकी)  
अपर सचिव।

5. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभावी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई आतिरेक वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

सं. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री नवीन चन्द जोशी, प्रभावी अधिशासी अभियंता	निर्माण खण्ड, ए.डी.बी., प्रभावी अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय पिथौरागढ़।	खण्ड, पिथौरागढ़।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता/प्रभावी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख शक्ति कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अन्वयण-1  
संख्या 1158-17/III(1)/14-46(अधि)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय आय

प्रभावी अधिशासी अभियंता  
ल.ए. (अधि)/ल.ए.ए.  


8ms  
03/05/14

संयुक्त सचिव।  
(नितिन मदन आर्थ)

*(Signature)*

8. गाई फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकांशी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिकांशी अभियंता।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158(16)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. नदरिनाक

(अरविन्द सिंह द्वारा की) अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकांशी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांशी स्थानान्तरित अधिकांशी को तत्काल कार्याभ्युपगत करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, यामनगर को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकांशी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकांशी को प्रभांशी अधिकांशी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

सं. क्र. को.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	प्रभांशी अधिकांशी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, पोखरी
1	2	3	4
1	श्री मदन राम आर्थ, सहायक अभियंता	निर्माण खण्ड, यामनगर	प्रभांशी अधिकांशी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, पोखरी

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में प्रतिलिपि स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सुनिश्चित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय ड्राप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अर्जुमग-1  
संख्या 1158(16)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. नदरिनाक  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

*(Signature)*  
L.E (HSE)/L.E.E

03/08/14  
Sur

संयुक्त सचिव।  
(ललित-गहन आर्थ)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 158(15)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह ह्यूको)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नदीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिष्ठा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित निरक्षर अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नदीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नदीन तैनाती
1	श्री मूलचन्द गुप्ता, अधिशासी अभियंता	पं.डी.बी. खण्ड, उत्तरकाशी	पं.डी.बी. आपदा खण्ड, पिथौरागढ़।
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यहित में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

कार्यालय शाप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 158(15)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रतिलिपि भिजवायी  
लोक निर्माण विभाग  
27/5/14  
23 (142)/14.15

8m  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(अखिल मोहन आर्य)  
*[Signature]*

8. गार्ड फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकांश (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158/13/III(1)/14-46(अधि)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अखिल सिंह देवांकी)  
अपर सचिव।

भारत सं ग्यावत बनाये रखा जाता है।  
2014 को निरस्त करते हुए श्री नारायण सिंह खलिया को पूर्ववत स्थान अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि. का स्थानान्तरण ए.डी.बी. खण्ड, टिहरी से किया गया था। उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मई, दिनांक 27 मई, 2014 के द्वारा श्री नारायण सिंह खलिया, अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, भारत लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1167/14-46(अधि)/09 टी.सी.

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158/13/III(1)/14-46(अधि)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
*[Signature]*  
1158/13/III(1)/14-46(अधि)/09

14/08/2014  
mm

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*l.m.h.*

8. गाई फाईल।
  7. सम्बन्धित अधिकांशी (नाम से)।
  6. सम्बन्धित अधिकांशी अभियंता।
  5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
  3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
  1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

संख्या 158(14)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह द्वारा की)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकांशी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिष्ठा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांशी स्थानान्तरित अधिकांशी को तत्काल कार्याभ्युक्त करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकांशी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकांशी को प्रभांशी अधिकांशी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री दिनेश प्रसाद आर्य, सहायक अभियंता	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	प्रभांशी अधिकांशी अभियंता, निर्माण खण्ड, ए.डी.बी., पिथौरागढ़।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख आंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय ड्राप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अन्वयण-1  
संख्या 158-14/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

158(14)/III(1)/14-46(अधि0)/09  
L.E (K) / L.E.U

03/06/14  
Sms



संयुक्त सचिव।  
(अतिरिक्त मानद आर्थ)

8. गार्ड फाईल।
7. सम्बन्धित अधिकायी (नाम से)।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधियता।
5. सम्बन्धित मुख्य अधियता स्तर-1/मुख्य अधियता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. प्रमुख अधियता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक काव्यावली हेतु प्रेषित:-

संख्या 1158-(11)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अतिरिक्त सिद्ध हवाईकी)  
अपर सचिव।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इन्डिगो की कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकायी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आरक्षण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकायी स्थानान्तरित अधिकायी को तत्काल काव्यपूर्वक करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकायी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री संजय कुमार पाण्डेय, अधिशासी अधियता	पी.एम.जी.एस.वाई.काठगोदाम	वल्ड बैक खण्ड, मुनस्वारी
2		3	4

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुच्च अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अधियता के विभागीय कार्यहित में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158(11)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
काव्यालय शाप

प्राप्त को.नि.वि.सं. 27/5  
23/5/14

03/06/14  
Sms

संयुक्त सचिव।  
(ललिताना महान आर्य)  
*Shrestha*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अहि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह दयाँकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतियां किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित निदेशक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नई दिल्ली को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

सं. क्र.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री दिनेश कुमार, प्रभासी अधिशासी अभियंता	अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.	प्रभासी अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लैसडालन।
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभासी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सुनिश्चित स्थान पर तैनात किया जाता है।

कार्यालय आप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अभाग-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अहि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
11/5/14  
L.E (H.O) 11/5/14

Sum  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*[Signature]*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158-10/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अरविन्द सिंह हयांकी)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतियां किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पियौरगढ़ को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	1. श्री जीवन सिंह हयांकी, अधिशासी अभियंता	वर्ल्ड बैंक खण्ड मुनस्वारी	पी.एम.जी.एस.वार्ड, खण्ड, काठवादास - 4
2		3	4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यहित से एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख आंकल कोलम-4 में सुनिश्चित किया गया है।

**कार्यालय झाप**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158(10)/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

ललित मोहन आर्य  
सचिव  
1158-10/III(1)/14-46(अधि0)/09

C.E (H.O)/L.E.I

03/06/14  
Smt

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*[Signature]*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अधिकारी स्तर-1/मुख्य अधिकारी स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. माई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158 (2) / III (1) / 14-46 (अधि0) / 09, टी.सी. तददिनांक

(अरविन्द सिंह द्वारा की)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यवाही करें।
3. सम्बन्धित निबंधक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार संनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को कार्यवाही आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभासी अधिशासी अधिकारी के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते नहीं होंगे।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री सतवीर सिंह, प्रभासी अधिशासी अधिकारी	ए.डी.बी. आपदा खण्ड, पिथौरागढ़।	प्रभासी अधिशासी अधिकारी, ए.डी.बी. खण्ड, उत्तरकाशी।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभासी अधिशासी अधिकारी के विभागीय कार्यवाही से एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुच्च आंकल कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

**कार्यालय ड्राफ्ट**

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158 (2) / III (1) / 14-46 (अधि0) / 09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रमुख अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड शासन  
देहरादून  
27/5/2014

8ms  
03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(नवित्त मंत्रालय)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सहाय्यत जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सहाय्यत मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सहाय्यत अधिशासी अभियंता।
7. सहाय्यत अधिकाारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या (6) / III (1) / 14-46 (अधि) / 09, टी.सी. तद्विनांक  
1152

(अरविन्द सिंह देवाँकी)  
अपर सचिव।

2. सहाय्यत अधिकाारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्पर्धी की प्रतियोगिता किए बिना यागदान देना सुनिश्चित करें।
3. सहाय्यत नियंत्रक अधिकाारी स्थानान्तरित अधिकाारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सहाय्यत वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लेखाउपन/देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सहाय्यत अधिकाारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सहाय्यत अधिकाारी को प्रभावी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री दीपक कुमार प्रभावी अधिशासी अभियंता	प्रान्तीय खण्ड, लेखाउपन।	प्रभावी अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2(ए.डी.बी.), देहरादून।


लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभावी अधिशासी अभियंता के विभागीय कार्यभार पर एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित क्रम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या (6) / III (1) / 14-46 (अधि) / 09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

कार्यालय आप

Sms  
03/06/14

L.E (H) / 1152  
1152

संयुक्त सचिव।  
(अखिल मंडल आय)  


1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अखिल सिंह देवाँकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लैसडवन/देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आधार से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
2. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते नहीं होंगे।
3. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लैसडवन/देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आधार से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकारी को प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में तैनाती करने के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री बन्देश्वर कोशिक प्रभारी अधिशासी अभियंता	निर्माण खण्ड-2 (ए.डी.बी.), देहरादून।	विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिलिपि किण्व विना यागदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
कार्यालय आय

प्रमाणित  
दिनांक 03/06/14  
23/06/14  
1158/III(1)/14-46(अधि0)/09

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)  
*Arora*

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षक अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह श्यांकी)  
अपर सचिव।

1. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतियाँ किए बिना यागदान देना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय यागदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. प्रमोटी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट, प्रमोटी अधीक्षण अभियंता	प्रमोटी अधीक्षण अभियंता, प्रमोटी अधीक्षण अभियंता, सिविल	वर्ल्ड बैंक वृत्त लोक निर्माण विभाग टिहरी। वृत्त, बम्बाल।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमोटी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यभार में एकद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में सम्बन्धित स्थान पर तैनात किया जाता है।

#### कार्यालय ड्राफ्ट

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अगुथाना-1  
संख्या 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

03/06/14  
8ms

मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून  
27/5/14

संयुक्त सचिव।  
(नविन नदी/आय)  
158/2

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

संख्या: 158/2/III(1)/14-46(आय)/09, टी.सी. तद्विनांक

(अतिरिक्त सिंह हवाई) अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी का तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रमारी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री आर०के० जैन, ए०डी०बी०, (आपदा) खण्ड	लोक निर्माण विभाग टिहरी।	वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
	अधीशासी अभियंता		

एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमारी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यभार में

कार्यालय शाप

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 158/2/III(1)/14-46(आय)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

प्रधान सचिव  
टी.सी. वि. वि.

158/2/III(1)/14-46(आय)/09

03/06/14

संयुक्त सचिव।  
(ललित मोहन आर्य)

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीशासी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गाई फाईल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या: 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अवलोकित सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतियोगिता की प्रतियोगिता के लिए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यालय करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बम्बाल को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
5. प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कॉलेज को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री एस0एस0 यादव, सिविल इंजीनियर, प्रभाषी अधीक्षण अभियंता, वल्लू बैक	प्रभाषी अधीक्षण अभियंता, बम्बाल।	वृत्त लोक निर्माण विभाग टिहरी।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाषी अधीक्षण अभियंता के विभागीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कॉलम-4 में प्रमुख अधीक्षण अधिकारी के निम्नलिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

#### कार्यालय नाम

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अर्गुमान-1  
संख्या: 1158/III(1)/14-46(अधि0)/09, टी.सी.  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014

03/06/14  
3ms

सर्वज्ञ साहिब ।  
(ललित भाहन आय)  
*[Signature]*

8. गाई फाईल ।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी ।
5. सम्बन्धित मुख्य अधिकारी स्तर-1/मुख्य अधिकारी स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
3. प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. प्रमुख साहिब, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन ।
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
संख्या 1158(23)/III(1)/14-46(आि0)/09, टी.सी. तददिनांक

(अपरिन्द सिंह देयाँकी)  
अपर साहिब ।

5. प्रभारी सहायक अधिकारी के रूप में तैनाती के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त ध्यासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय ।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को नवीन तैनाती के स्थान पर करें ।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार करना सुनिश्चित करे ।
2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें ।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री महेश चन्द पाण्डे	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट	निर्माण खण्ड, काशीपुर

सम्बन्धित स्थान पर तैनात किया जाता है ।  
सहायक स्थानान्तरित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभारी सहायक अधिकारी के विभागीय कार्यभार में

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
देहरादून : दिनांक 27 मई, 2014  
संख्या : 1158(23)/III(1)/14-46(आि0)/09, टी.सी.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
C.E (M&E) / E.E I  
3/06/14

03/06/14  
Smt

1198/III(1)/14-46(AH0)/09, टी.सी. तद्विनिक

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या : 1198/III(1)/14-46(AH0)/09, टी.सी.

देहरादून : दिनांक 02 जून, 2014

कार्यालय द्वारा

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकांसी अभियंता के विभागीय कार्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानान्तरित करके हुए ताकालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख आंकित कॉलम-4 में स्थानान्तरित स्थान पर तैनात किया जाता है।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री अनुराध भण्डारी, अधिकांसी अभियंता	विभागस्थल कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।	अधिकांसी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, ऊड़की।

2. सम्बन्धित अधिकांसी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकांसी स्थानान्तरित अधिकांसी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कार्याधिकारी/कार्याधिकारी, देहरादून को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

संख्या 1198/III(1)/14-46(AH0)/09, टी.सी. तद्विनिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कार्याधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिकांसी अभियंता।
7. सम्बन्धित अधिकांसी (नाम से)।
8. गाई काईल।

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

(अरविन्द मोहन आर्य)  
संयुक्त सचिव।

8/3/06/14  
Suk

15/58(24)  
14/06/14

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियंता के विभागीय कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री जे.सी.पन्नाला सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड काशीपुर	प्रान्तीय खण्ड, डी.डी.हाट

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कौषाधिकारी/कौषाधिकारी, काशीपुर को नवीन तैनाती के स्थान पर यथासंभव योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

संख्या: 158(24)/III(1)/14-46(आध0)/09, टी.सी. तद्विनांक  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-  
1. प्रधान लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।  
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कौषाधिकारी।  
5. सम्बन्धित मुख्य अभियंता स्तर-1/मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।  
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।  
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।  
8. गाई फाईल।

(अरविन्द सिंह हथौकी)  
अपर सचिव।

(ललित मोहन आर्य)  
संयुक्त सचिव।